न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/51/2025

अपींलाट लक्ष्मण वडेरा पुत्र सताराम वडेरा
निवासी जटियों का नया मोहल्ला, वार्ड नं. 13 बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 19.05.2025

अपीलांट लक्ष्मण वडेरा पुत्र सताराम वडेरा निवासी जटियों का नया मोहल्ला, वार्ड नं. 13 बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 25.04.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 10.03.2025 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में अंकित किया कि अपीलांट को कार्यालय के पत्र क्रमांक 322 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दिया गया है लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार प्रार्थना–पत्र में राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा अपील मीमो में राज्य लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बाड़मेर को रेस्पोडेन्ट होने से असमंजता के साथ सूचना अस्पष्ट एवं विशिष्टिया अंकित नहीं होने से अपीलार्थी को चाही गई सूचना दी जाना संभव नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवलोकन एवं विवेचन उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:33:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो [illegible] एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर